स्थलों पर नदी तलों में वृक्षारोपण को नदी मुख विकास के लिए स्कीमों में शामिल किया गया है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

416. श्री राम चन्द्र विकल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकांश कार्यालयों में 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होने के बावजूद वहां हिन्दी में अपेक्षानुसार कार्य नहीं हो रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) सरकार ने हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से यह नियमानुसार अपेक्षित है कि वे हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दें तथा हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकारों तथा व्यक्तियों से पत्राचार हिन्दी में करें। इसके उपरान्त राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत सभी सामान्य आदेश, संकल्प, अधिसूचनाएं रिपोर्ट आदि हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों में जारी करना अनिवार्य है। इन प्रावधानों का पालन महद अंश तक केन्द्रीय सरकार कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। अन्य पत्राचार में राजभाषा विभाग द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाने वाले पत्रों की प्रतिशतता निर्धारित की गई है। यह पाया गया है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकांश कार्यालय इस प्रतिशतता को प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं, किन्तु निर्धारित प्रतिशतता अभी तक प्राप्त नहीं कर सके। हालांकि इस दिशा में भी पिछले वर्षों में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है।

इसका मुख्य कारण है कि भूतकाल में केन्द्रीय सरकार का लगभग समस्त कार्य अंग्रेजी में किया जाता था। अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी इसी भाषा में काम करने के अभ्यस्त हैं। उन्हें राजभाषा नियमों के नियम 8(1) के अन्तर्गत यह सुविधा भी दी गई है कि वे अपना काम हिन्दी अथवा अंग्रेजी, किसी भी भाषा में कर सकते हैं। किसी भी कर्मचारी को हिन्दी में कार्य करने के लिये बाध्य करना सरकार की राजभाषा नीति के विरुद्ध है।

सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये वार्षिक कार्यक्रम और लक्ष्य निर्धारित करना, कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों को कार्यशालाओं द्वारा हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों के लिये केवल हिन्दी के प्रयोग के लिये शासकीय प्रयोजनों को विनिर्दिष्ट करना; हिन्दी के प्रयोग के लिये आर्थिक प्रोत्साहन देना, द्विभाषी यांत्रिक सुविधाओं को कार्यालयों में खरीदने के निर्देश विशेष हैं। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि के ऊपर देखरेख रखना तथा उसे सुनिश्चित करने के लिये त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट की पद्धति निर्धारित की गई है व मन्त्रालय/विभाग एवं नगर एवं कार्यालय स्तर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की रचना की गई है, जो इस पर देखरेख रखेंगी।

Pakistani intruders arrested/killed while entering Indian Borders

417. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of HOME AFFAIRS